ओ३म्

वैदिक सार्वदेशिक

वैदिक संस्कृति का उद्घोषक

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली का साप्ताहिक मुख-पत्र

वर्ष 8 अंक 23 6 से 12 जून, 2013 दयानन्दाब्द 190 सृष्टि सम्वत् 1960853114 सम्वत् 2070 ज्येष्ठ. कृ.-13

शुल्क :- एक प्रति 5 रुपया (भारत में) वार्षिक 250 रुपये तथा आजीवन 2500 रुपये

किसी भी हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता है

गोली नहीं बोली से ही बनेगी बात

— स्वामी अग्निवेश

नक्सल आन्दोलन वैचारिक तौर पर शुरू से ही विरोधाभासों से भरा रहा है। नक्सलवाद का मूल उद्देश्य माओ की इस पंक्ति में सूत्रबद्ध किया जाता है, 'सत्ता बंदूक की नली से निकलती है।' बंदूक की नली से क्रांति की बात शुरू से ही गलत रही है। वर्ग शत्रु के नाम पर हत्या करने का सिलसिला नक्सलबाड़ी से शुरू होकर आज कई क्षेत्रों में फैल चुका है। माओवादियों का माओ से प्रेरणा लेना भी गलत है। इस आन्दोलन में आध्यात्मिक सोच की कमी रही है। 1967 में जब पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में यह आन्दोलन पहली बार प्रकट हुआ था, उस समय इसे कई बुद्धिजीवियों का समर्थन हासिल हुआ। उस समय मैं कोलकाता में शिक्षण के कार्य में था। लेकिन काफी सोच–विचार के बाद मैंने इस आंदोलन की खामियों को देखते हुए इससे नहीं जुड़ने का फैसला लिया।

बेगुनाहों की हत्या करना जघन्य और अक्षम्य है चाहे वह सरकार करे या नक्सली

हर आन्दोलन में उतार–चढ़ाव आते हैं। नक्सल आन्दोलन में भी कई उतार–चढ़ाव आये। लेकिन, यह कहा जा सकता है कि नक्सलबाड़ी से दरभा तक के सफर में इस आन्दोलन के मूल में गरीब और शोषितों का आवाज बनने का मकसद बना रहा है। इस आन्दोलन के उद्देश्य में कोई घोषित

पांचवीं और छठी अनुसूची एक तरह से संविधान की आत्मा है। अगर इन्हें ईमानदारी से लागू किया गया होता, तो आज आदिवासी सबसे विकसित और सम्पन्न होते। लेकिन इनके विकास के लिए चलाई गई योजनाएं कभी भी ईमानदारी से लागू नहीं की गई।

बदलाव नहीं आया। इस आन्दोलन की शुरुआत ही भूमि सुधार, जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर हुई आज भी नक्सली इसी मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नक्सली अपने मूल मुद्दे पर शुरू से टिके रहे हैं। सैद्धान्तिक स्तर पर देखें, तो नक्सल आन्दोलन में भटकाव नहीं आया है। लेकिन, नक्सलवादी हिंसा की समस्या दिनोंदिन गंभीर हो रही है। अगर नक्सल आंदोलन के प्रसार के कारणों की बात करें, तो मेरा मानना है कि अगर संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची को ईमानदारी से लागू किया गया होता, तो नक्सली समस्या पैदा ही नहीं होती। लेकिन आजादी के 65 साल बीतने के बावजूद इसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा सका है। अब जब समस्या गंभीर हो गई है, तो सरकार इसे बंदूक से कुचलना चाहती है। ऐसी कोशिश गलत है और इससे समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा।

पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी से शुरू हुए आंदोलन को कुचलने के लिए वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने भी ऐसी गलती की थी। इस दमन के कारण सैकड़ों बेगुनाह मारे गये थे और आन्दोलन तेजी से पूरे बंगाल में फैल गया था। उस समय के दौर से लेकर आज यह आन्दोलन जंगल महल से दंडकारण्य तक फैल गया है। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल और खनिज संपदा बहुल है। लेकिन इन इलाकों में मूलभूत सुविधाएँ तक नहीं है जबकि खनिज सम्पदा का दोहन कर कम्पनियाँ मालामाल हो रही हैं। इसी शोषण के खिलाफ नक्सली आवाज उठा रहे हैं और उन्हें आदिवासियों का समर्थन मिल रहा है। दरभा में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हुए हमले में कई बेगुनाह मारे गये। लेकिन इस दौरान नक्सलियों का दूसरा चेहरा भी देखने को मिला। वे घायलों का इलाज भी कर रहे थे। उनके निशाने पर सलवा जुडूम के कर्ताधर्ता महेन्द्र कर्मा थे। नक्सलियों ने योजनाबद्ध तरीके से यह कार्रवाई की। मकसद कुछ भी हो, लेकिन बेगुनाहों की हत्या करना जघन्य और अक्षम्य है। किसी भी हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। चाहे वह सरकार करे या नक्सली।

अभी भी वक्त है कि केन्द्र और राज्य सरकारें ईमानदारी से इस समस्या की समीक्षा करें और संविधान को पूरी ईमानदारी से लागू करें, लेकिन राजनेता, नौकरशाह और कॉरपोरेट घराने नहीं चाहते कि इस समस्या का समाधान हो, ताकि वे प्राकृतिक संसाधनों को लूटते रहें। सरकार को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। नक्सली बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं। लेकिन सरकार कहती है कि किससे बातचीत करें। जब सरकार नगा विद्रोही, उल्फा, कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत के लिए तैयार हो सकती है, तो नक्सलियों से क्यों नहीं?

इसकी मुख्य वजह यह है कि शासक वर्ग की संतानें अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती नहीं होते। देश के गरीब परिवारों के लोग ही इसमें भर्ती होते हैं। जब 2010 में 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गये, तो किसी नेता ने घटनास्थल पर जाने की जहमत नहीं उठाई। यह सरकार की मंशा को दर्शाता है। आजादी के बाद से ही सरकार की गलतियों के कारण आदिवासियों का शोषण हुआ है। पांचवीं और छठी अनुसूची एक तरह से संविधान की आत्मा है। अगर इन्हें ईमानदारी से लागू किया गया होता तो आज आदिवासी सबसे विकसित और सम्पन्न होते। लेकिन इनके विकास के लिए चलाई गई योजनाएं कभी भी ईमानदारी से लागू नहीं की गई। 1974 में ट्राइबल सब प्लान, 1996 में पेसा एक्ट, 2006 में बना वन अधिकार कागजों में सिमट कर रह गया। मेरा मानना है कि मौजूदा समस्या के लिए नक्सलियों के मुकाबले सरकार अधिक दोषी है। सरकार की गलतियों से ही ऐसा लग रहा है कि वह हार रही है और नक्सली जीत रहे हैं। क्योंकि वह इस समस्या की मुख्य वजह पर गौर नहीं कर रही है। यह सही है कि बंदूक के दम पर व्यवस्था बदलने की माओवादियों की रणनीति भारत में कभी कारगर नहीं होगी। लेकिन हिंसा का जबाव हिंसा नहीं हो सकता है, इसलिए इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही सम्भव है।

– प्रभात खबर से साभार

सम्पादक

प्रो. विट्ठलराव आर्य

आओ जानें – मैं कौन हूँ? किसलिए आया हूँ? क्या लेकर जाऊँगा?

– सीताराम गुप्ता

स्वयं को स्वयं के प्रति सजग करना ही आध्यात्मिकता है लेकिन स्वयं को स्वयं के प्रति सजग कैसे करें इस पर विचार करने से पूर्व यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि अध्यात्म क्या है?मोटे तौर पर अध्यात्म से तात्पर्य है अपनी आत्मा अथवा चेतना के स्रोत से एकाकार होना। मनुष्य मात्र भौतिक शरीर नहीं है। इस शरीर को कई भागों अथवा कई परतों में बाँटा गया है। शरीर को प्रमुख रूप से तीन भागों, परतों अथवा कोषों में विभाजित किया गया है। भौतिक शरीर, मानसिक शरीर तथा आध्यात्मिक शरीर। इन तीनों शरीरों को क्रमशः स्थूल शरीर, कारण शरीर तथा सूक्ष्म शरीर भी कहा गया है। स्थूल शरीर जो दृष्टिगोचर होता है, सूक्ष्म शरीर अर्थात् चेतना जो अदृश्य है तथा कारण शरीर अर्थात् मन। भौतिक शरीर हमारा बाहरी आवरण है तो आत्मा अथवा चेतना अंतरतम बिन्दु और मन के नियंत्रण तथा इसकी अभ्यंतर गति द्वारा चेतना से एकाकार होना ही सजगता है और यही सजगता आध्यात्मिकता है। यही वास्तविक ज्ञान है। बाहरी चीजों की जानकारी के बजाए स्वयं का सही ज्ञान होना ही सजगता अथवा आध्यात्मिकता है।

सजगता अथवा आध्यात्मिकता के विकास के लिए आत्मा अथवा चेतना या स्वयं के मूल स्वरूप को समझना बहुत अनिवार्य है। आत्मा अथवा चेतना या स्वयं के मूल स्वरूप को कैसे समझें?इस शरीर द्वारा, हाथ–पैर, आँख, नाक, कान, जिह्वा अथवा त्वचा आदि ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से?जहाँ तक ज्ञानेन्द्रियों का प्रश्न है वे भी स्वयं काम नहीं कर सकतीं। जब तक उनके पीछे कोई प्रेरणा न हो, कोई स्वार्थ न हो वे कैसे कार्य कर सकती हैं?हर इन्द्रिय के पीछे एक मन है जो ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से कार्य करता है।

जब तक मनुष्य न चाहे आँखें होते हुए भी देख नहीं पाता, कान होते हुए भी सुन नहीं पाता। मनुष्य की चाह या इच्छा ही सब कुछ है और इच्छा का उद्गम या मूल है 'मन'। 'मन' ही ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियों को जगाता है, उत्तेजित करता है या तटस्थ करता है। इन मन की चंचलता को नियंत्रित करना ही वास्तविक सजगता है। लेकिन मन पर नियंत्रण कैसे करें?मन द्वारा ही मन का नियंत्रण सम्भव है। मन को उचित दिशा–निर्देश मन द्वारा ही दिया जा सकता है?अब इस मन को खोजना है वह कहाँ है। वस्तुतः जिस मैं की बात है या आत्मा की बात है उस तक पहुँचना मन द्वारा मन के स्रोत तक की यात्रा है। महर्षि रमण ने भी मन द्वारा मन के स्रोत की यात्रा को ही आध्यात्मिक यात्रा कहा है। जहाँ हमें पहुँचना है वह मन का उद्गम है। वहीं से मन का प्रारम्भ है।

वाह्य जगत् में चेतन मन है तो आंतरिक जगत् में अचेतन या अवचेतन मन है। न जाने कितनी परतें हैं मन की। मन द्वारा, चेतन मन द्वारा अचेतन मन के अंतिम छोर की यात्रा ही आत्मा की यात्रा है। जैसे–जैसे मन निर्विकार होता जाता है वैसे–वैसे चेतना का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। यही 'मैं' की खोज है। जो खोज लेता है इसकी व्याख्या नहीं कर पाता और न ही उसे इसकी व्याख्या की जरूरत रहती है, और जो खोज नहीं पाता और न ही खोजने का प्रयास करता है वह व्याख्या करने का प्रयास करता रहता है। विकार या विचार रहित होकर ही मन आत्मस्थ होता है। यही मनुष्य की आंतरिक यात्रा है।

मन को इच्छा या विकार रहित करने का उपाय है ध्यान या मेडिटेशन। ध्यान या मेडिटेशन की अवस्था में मन में विचारों अथवा संकल्प विकल्पों का प्रवाह कम होकर अंततः रूक जाता है यहाँ विचार इतने क्षीण हो जाते हैं कि किसी भी अनुपयोगी विचार को उखाड़ फेंकना तथा उपयोगी विचार का रोपण करना सरल हो जाता है। ध्यान के माध्यम से ही मन पर पूर्ण नियंत्रण सम्भव है। यहाँ सचेत होकर ही व्यक्ति सही मार्ग का चुनाव कर सकता है। यही सजगता की चरमावस्था है।

हम किसी भी हालत में मन की उपेक्षा नहीं कर सकते मामला चाहे भौतिक उन्नति का हो अथवा आध्यात्मिक अभ्युदय का। जब मन की वाह्य गति को विराम मिलेगा तो निश्चितरूप से मन की द्वन्द्वात्मक स्थिति से मुक्ति मिलेगी। ऐसी अवस्था में मन संकल्प विकल्प रहित होगा ही। मन विचारशून्यता की ओर पदार्पण करेगा और अपने मूल स्रोत से एकाकार हो सकेगा। यही मन का वास्तविक रूपांतरण है। मन पर नियंत्रण के लिए अपेक्षित है साधना और साधना के लिए अनिवार्य है अपेक्षित परिवेश। इसके लिए जरूरी नहीं कि घर–बार अथवा संसार का त्याग ही किया जाए। संसार में रहते हुए भी हम अपेक्षित साधना अथवा मन पर उचित नियंत्रण और इसके संस्कार द्वारा अपनी चेतना से एकाकार हो सकते हैं।

इस संसार में रहते हुए यदि मनुष्य ठान ले कि मुझे अध्यात्म पक्ष पर अग्रसर होना ही है तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तो मन की निर्मलता और निष्कपटता है। आध्यात्मिकता के विकास में बाधक घर–संसार नहीं अपितु बाधक हैं मन में व्याप्त घातक नकारात्मक वृत्तियाँ। राग–द्वेष, घृणा आदि नकारात्मक भाव घर को भी घर नहीं रहने देते और फिर यदि इन भावों के साथ संसार का त्याग भी कर दिया तो वह भी किस काम का। अत्यधिक राग से अनासक्ति अथवा मुक्ति ही वास्तविक वैराग्य है। हमारे अनेक महान् साधु–संत, कवि, विचारक, चिंतक जो सही अर्थों में आध्यात्मिक व्यक्ति भी हुए हैं सद्गृहस्थ ही थे। संत कवि तिरुवल्लुवर और कबीर जुलाहे थे, रविदास चमड़े से जूते बनाते थे, रामदेव दर्जी का काम करते थे। निसर्गदत्त महाराज परचून की दुकान चलाते थे। विपश्यना के आचार्य श्री सत्यनारायण गोयंका हमेशा अपनी सहधर्मिणी के साथ ही दिखलाई पड़ते हैं।

इस संसार में रहते हुए यदि मनुष्य ठान ले कि मुझे अध्यात्म पक्ष पर अग्रसर होना ही है तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तो मन की निर्मलता और निष्कपटता है। आध्यात्मिकता के विकास में बाधक घर–संसार नहीं अपितु बाधक हैं मन में व्याप्त घातक नकारात्मक वृत्तियाँ। राग–द्वेष, घृणा आदि नकारात्मक भाव घर को भी घर नहीं रहने देते और फिर यदि इन भावों के साथ संसार का त्याग भी कर दिया तो वह भी किस काम का। अत्यधिक राग से अनासक्ति अथवा मुक्ति ही वास्तविक वैराग्य है। हमारे अनेक महान् साधु–संत, कवि, विचारक, चिंतक जो सही अर्थों में आध्यात्मिक व्यक्ति भी हुए हैं सद्गृहस्थ ही थे। संत कवि तिरुवल्लुवर और कबीर जुलाहे थे, रविदास चमड़े से जूते बनाते थे, रामदेव दर्जी का काम करते थे। निसर्गदत्त महाराज परचून की दुकान चलाते थे। विपश्यना के आचार्य श्री सत्यनारायण गोयंका हमेशा अपनी सहधर्मिणी के साथ ही दिखलाई पड़ते हैं।

सांसारिक मुश्किलों से घबराकर पलायन करने वाला व्यक्ति ऊपरी तौर पर चाहे कितना ही परिवर्तन कर ले, भगवा वस्त्र धारण कर ले अथवा मठ में रहने लग जाए, सहजता सरलता तथा मन की निर्मलता व निष्कपटता के अभाव में अध्यात्म पथ का यात्री नहीं हो सकता। कर्म भी एक साधना है और कर्मयोग का साधक निष्काम कर्म द्वारा अध्यात्म मार्ग का अनुसरण ही करता है। व्यवसाय में ईमानदारी, सेवा में कर्त्तव्यनिष्ठा भी आध्यात्मिकता ही तो है। राग–द्वेष, लाभ–हानि, सुख–दुःख आदि परस्पर विरोधी भावों से ऊपर उठ जाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है।

कुछ लोगों का मानना है कि धर्म की जानकारी अथवा वाह्य ज्ञान ही वास्तविक आध्यात्मिकता है लेकिन बड़े–बड़े ग्रंथों का पारायण और उनके दृष्टांत याद कर लेना ही आध्यात्मिकता नहीं। कबीर अंगूठा छाप थे पर आत्मज्ञान में पगे हुए। किसी प्रकार की सिद्धि अथवा चमत्कार में भी आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता है तो जीवन की सहजता और सरलता में। अनेक प्रकार के अनुष्ठान, वाह्याचार, मंत्र लेना, दीक्षा लेना, गुरु बनाना इन सबका आध्यात्मिकता से कोई लेना–देना नहीं। ये सब साधन तो हो सकते हैं साध्य नहीं। नाम के अंत में आनन्द जोड़ने से भी आध्यात्मिकता का अनुभव या आनंदानुभूति संभव नहीं। नाम परिवर्तन महत्त्वपूर्ण हो सकता है लेकिन नाम के अनुरूप भाव परिवर्तन के द्वारा ही आध्यात्मिकता का उदय संभव है।

कुछ लोगों का मानना है कि धर्म की जानकारी अथवा वाह्य ज्ञान ही वास्तविक आध्यात्मिकता है लेकिन बड़े–बड़े ग्रंथों का पारायण और उनके दृष्टांत याद कर लेना ही आध्यात्मिकता नहीं। कबीर अंगूठा छाप थे पर आत्मज्ञान में पगे हुए। किसी प्रकार की सिद्धि अथवा चमत्कार में भी आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता है तो जीवन की सहजता और सरलता में। अनेक प्रकार के अनुष्ठान, वाह्याचार, मंत्र लेना, दीक्षा लेना, गुरु बनाना इन सबका आध्यात्मिकता से कोई लेना–देना नहीं। ये सब साधन तो हो सकते हैं साध्य नहीं। नाम के अंत में आनन्द जोड़ने से भी आध्यात्मिकता का अनुभव या आनंदानुभूति संभव नहीं। नाम परिवर्तन महत्त्वपूर्ण हो सकता है लेकिन नाम के अनुरूप भाव परिवर्तन के द्वारा ही आध्यात्मिकता का उदय संभव है।

भौतिक शरीर को कष्ट देने से भी अध्यात्म पथ प्रशस्त नहीं होता। बुद्ध ने घोर तपस्या की लेकिन बात नहीं बनी। जब उन्हें ज्ञान हुआ तो कहा कि बीच का रास्ता ही ठीक है। साधना शरीर की नहीं मन की होनी चाहिए। मन को रिक्त होना चाहिए। इस संसार को देखो और देखकर आगे बढ़ जाओ। संसार में रहो लेकिन इस तरह जैसे नाव नदी के जल में तो रहती है पर जल नाव के अंदर नहीं आने पाता। हम संसार में तो रहें पर घोर सांसारिकता हम में व्याप्त न होने पाए। इसके लिए अनिवार्य है मन की उच्छृंखल वृत्ति को नियंत्रित कर उसे उचित दिशा देना। गलत कंडीशनिंग को तोड़कर सही कंडीशनिंग करना और इसके लिए घर–बार और संसार छोड़ने की कतई जरूरत नहीं।

एक बार कुछ योगियों ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आप न तो माथे पर तिलक लगाते हो और न गले में माला ही धारण करते हो फिर आप कैसे योगी अथवा आध्यात्मिक पुरुष हो?गुरु नानक देव जी ने कहा है कि अंजन माहि निरंजनि रहीऐ, जोग जुगति इवै पाइऐ। अर्थात् योग तो परमात्मा को मन में बिठा लेने से होता है न कि बाहरी आडंबरों से। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी यद्यपि श्रृंगार रस के कवि हैं लेकिन अध्यात्म के बारे में वे अत्यंत स्पष्ट विचार रखते हैं। उनका एक दोहा देखिए –

जप माला छापा तिलक, सरै न एकौ कामु,
मन काँचै नाचै वृथा, साँचै राचै रामु।

किसी पंथ विशेष में दीक्षित होना, विधिवत् संन्यास ग्रहण करना भी आध्यात्मिकता नहीं क्योंकि वहाँ भी व्यक्ति या साधक एक निश्चित विचारधारा में बंध जाता है और किसी भी प्रकार का वैचारिक बंधन आध्यात्मिकता की अनुभूति में बाधक ही होता है। जो व्यक्ति बिना किसी पंथ विशेष में दीक्षा लिए बिना ही मुक्त हो सके वही अध्यात्म पथ का सच्चा यात्री और जिज्ञासु है।

मनुष्य को बाँधने वाले होते हैं उसके मनोभाव। घर–बार और संसार कहाँ बांधते हैं। घर छोड़ने पर भी रहना तो संसार में ही पड़ेगा। संसार से नहीं घोर सांसारिकता अथवा भौतिकता से मुक्त होना ही सच्ची आध्यात्मिकता है और इसके लिए मन द्वारा मन के नियंत्रण की कला में निष्णात होने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार नहीं।

– ए. डी.–106–सी, पीतमपुरा,
दिल्ली–110034

हिन्दी–हिन्दी करने से नहीं होगा कुछ लड़ना पड़ेगा

– जाहिद खान

हमारे देश में आजादी के बाद अपनी व्यापकता के चलते हिन्दी को यदि राजभाषा का दर्जा हासिल हुआ तो यह स्वाभाविक परिणति थी, लेकिन व्यवहार में यह फैसला कभी अमल में नहीं आ पाया। हकीकत यह है कि प्रशासनिक कामकाज से लेकर अदालतों तक में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। आज हिन्दी को लेकर शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी कार्यालयों और अदालतों में हिन्दी को लेकर उपेक्षापूर्ण और दोगला रवैया है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला राजभाषा हिन्दी के हक में उम्मीद जगाता है। एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने विभागीय कार्यवाही और सजा का आदेश सिर्फ इसलिए निरस्त कर दिया कि कर्मचारी द्वारा मांगे जाने पर भी उसे हिन्दी में आरोप पत्र नहीं दिया गया था, जबकि कानूनन केन्द्रीय कर्मचारी हिन्दी या अंग्रेजी जिस भाषा में चाहे आदेश या पत्र की प्रति माँग सकता है। याचिकाकर्त्ता की माँग कहीं से भी नाजायज नहीं थी।

मुम्बई नौसेना में काम करने वाले मिथिलेश कुमार सिंह ने आठ साल पहले एक मामले में अपने खिलाफ विभाग की ओर से जारी आरोप पत्र हिन्दी में देने की माँग की थी, लेकिन विभाग ने उसकी यह माँग खारिज कर दी। बाद में कैट और हाईकोर्ट ने भी नौसेना की यह दलील मान ली थी कि कर्मचारी अनपढ़ नहीं हैं। यह स्नातक है और उसने अपना फार्म अंग्रेजी में भरा था। लिहाजा, आरोप पत्र हिन्दी में न दिए जाने के आधार पर विभागीय जाँच रद्द नहीं की जा सकती। कैट और हाईकोर्ट में मिली हार के बाद भी मिथिलेश कुमार सिंह ने हार नहीं मानी और इंसाफ के लिए उसने देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में अपनी गुहार लगाई। जहाँ उसे जीत मिली। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश एच. एल. दत्तू और न्यायाधीश जे. एस. खेहर की पीठ ने कर्मचारी के हक में फैसला देते हुए जहाँ 4 जनवरी, 2005 का नौसेना का वह आदेश निरस्त कर दिया, जिसमें उसने मिथिलेश कुमार सिंह के वेतनमान में कटौती का निर्णय लिया था। वहीं कैट और हाईकोर्ट का फैसला भी खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पैगाम साफ है कि किसी व्यक्ति को अपनी भाषा में मांगी गई जानकारी देने से मना करने का कोई आधार नहीं बनता। देश में बड़े पैमाने पर जनसाधारण को महज अंग्रेजी नहीं समझ पाने के चलते कई जगह भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सरकारी दफ्तरों से लेकर ऊँची अदालतों का कामकाज भी अंग्रेजी में ही चलता है। वकीलों को कागजात अंग्रेजी में तैयार करने पड़ते हैं और फैसले भी अंग्रेजी में ही आते हैं, जबकि न्यायिक प्रक्रिया से फरियादी और आरोपी भी जुड़े होते हैं। जिनमें ज्यादातर लोग अंग्रेजी नहीं जानते। अंग्रेजी न जानने की वजह से उन्हें खूब पेरशानियाँ झेलनी पड़ती हैं।

अदालत ने अपने फैसले में केन्द्रीय कर्मचारियों के सर्विस रूल–1976 के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अगर केन्द्र सरकार किसी कर्मचारी की अर्जी, जवाब या ज्ञापन हिन्दी में प्राप्त करती है तो उसे उसका उत्तर हिन्दी में ही देना होगा। नियम सात कहता है कि अगर कोई कर्मचारी सेवा से सम्बन्धित किसी नोटिस या ऑर्डर की प्रति जिसमें विभागीय जांच की कार्यवाही भी शामिल है

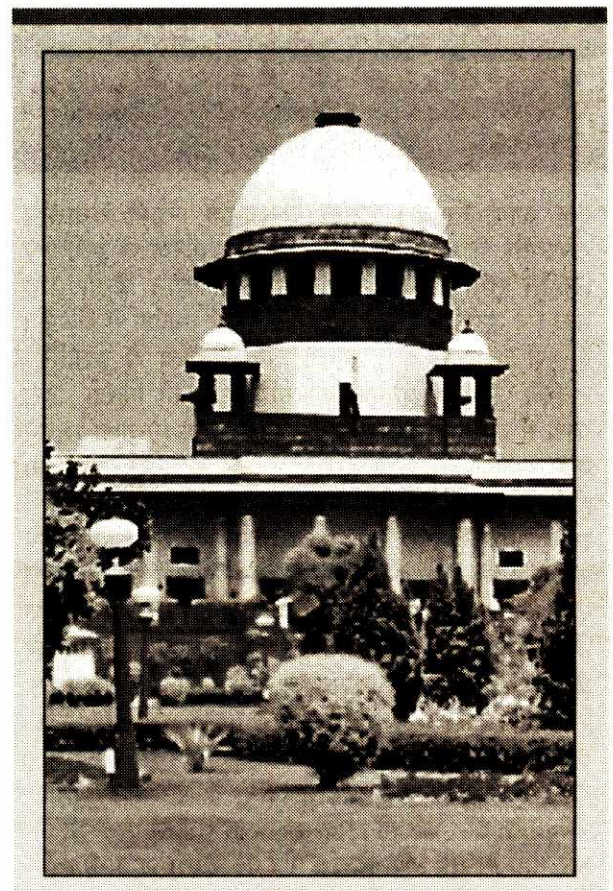

अदालत ने हमारे हुक्मरानों और नौकरशाही को एक जरूरी पैगाम दिया है कि वह राजभाषा हिंदी को लेकर अपना पक्षपातपूर्ण नजरिया बदलें

हिन्दी या अंग्रेजी जिस भाषा में मांगता है, उसे बिना देरी वह दी जायेगी। अदालत ने आगे कहा कि यह नियम इसलिए बनाया गया, ताकि किसी भी कर्मचारी को हिन्दी या अंग्रेजी में निपुण न होने का नुकसान न उठाना पड़े। फिर नेवल डाकयार्ड का 29 जनवरी, 2002 का एक आदेश भी कहता है कि अगर कर्मचारी हिन्दी में अर्जी या जवाब देता है और हिन्दी में उस पर हस्ताक्षर करता है, तो उसका जवाब भी हिन्दी में ही दिया जायेगा। लेकिन इस मामले में मांगने पर भी वादी को हिन्दी में आरोप पत्र की प्रति नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि कर्मचारी जिस भाषा में चाहे, उसे दस्तावेज मुहैया कराना सरकार (नियोक्ता) की जिम्मेदारी है। आरोप पत्र हिन्दी में न देने से याचिकाकर्त्ता को मिले निष्पक्ष सुनवाई एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ है, जिससे वह अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाया।

राजभाषा हिन्दी को लेकर यह उपेक्षापूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया कोई नई बात नहीं है, बल्कि आए दिन देश में ऐसे किस्से सामने आते रहते हैं, जिसमें हिन्दी के प्रति नौकरशाही की औपनिवेशिक मानसिकता साफ जाहिर होती है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब फरीदाबाद के एक कॉलेज में परीक्षा देने बैठे बीए मार्केटिंग के छात्रों को अंग्रेजी में पेपर थमा दिए गए। जबकि नियमानुसार सभी पेपरों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिए। जाहिर है, कॉलेज की इस हरकत पर हिन्दी मीडियम के छात्र स्तब्ध रह गए। जब इसको लेकर उन्होंने हंगामा किया, तब जाकर कॉलेज ने अनुवाद करने के लिए एक लेक्चरर की ड्यूटी लगाई। इस कड़वी सच्चाई पर शायद ही किसी को यकीन हो कि खुद सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में भी हिन्दी का प्रयोग संविधन के अनुच्छेद–348 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के तहत प्रतिबंधित है। हालांकि इसी अनुच्छेद के खण्ड (2) के तहत देश के किसी भी राज्य में राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के पश्चात् प्राधिकृत कर सकता है। लेकिन इस स्वतंत्रता का लाभ अभी तक कुछ राज्यों को ही मिल पाया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालयों में ही राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को वैधानिक स्वीकृति मिली हुई है। इन राज्यों के अलावा साल 2002 में छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग की माँग की और साल 2010 एवं 2012 में तमिलनाडु व गुजरात सरकार ने अपने राज्य में क्रमशः तमिल एवं गुजराती के प्रयोग की माँग की। तीनों ही मामलों में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की माँग ठुकरा दी। राजभाषा हिन्दी और दीगर भारतीय भाषाओं में अदालत में कामकाज की यह माँग कहीं से भी नाजायज नहीं थी। तमिल एवं गुजराती इन राज्यों की मातृभाषा है और अपनी भाषा में कामकाज की उनकी यह माँग संवैधानिक दायरे में है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पैगाम साफ है कि किसी व्यक्ति को अपनी भाषा में मांगी गई जानकारी देने से मना करने का कोई आधार नहीं बनता। देश में बड़े पैमाने पर जनसाधारण को महज अंग्रेजी नहीं समझ पाने के चलते कई जगह भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सरकारी दफ्तरों से लेकर ऊँची अदालतों का कामकाज भी अंग्रेजी में ही चलता है। वकीलों को कागजात अंग्रेजी में तैयार करने पड़ते हैं और फैसले भी अंग्रेजी में ही आते हैं, जबकि न्यायिक प्रक्रिया से फरियादी और आरोपी भी जुड़े होते हैं। जिनमें ज्यादातर लोग अंग्रेजी नहीं जानते। अंग्रेजी न जानने की वजह से उन्हें खूब पेरशानियाँ झेलनी पड़ती हैं।

जब भी यह मुद्दा उठता है तो सरकार की दलील होती है कि अंग्रेजी में फैसला लिखना न्यायाधीश के लिए व्यावहारिक विवशता है। जाहिर है, यही दलील फरियादी और आरोपी की भी हो सकती है कि फैसला उनकी भाषा में न होने की वजह से वे उसे समझे कैसे?यानी भाषा को लेकर जो व्यावहारिक विवशता न्यायाधीश के सामने आती है, वही समस्या जनसाधारण की भी है। फिर मांगने पर उसका हिन्दी या सम्बन्धित प्रांत की भाषा में अनूदित रूप मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी सम्बन्धित महकमे की होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में इसी बात की मुहर लगाई है।

अदालत ने हमारे हुक्मरानों और नौकरशाही को एक जरूरी पैगाम दिया है कि वह राजभाषा हिन्दी को लेकर अपना पक्षपातपूर्ण नजरिया बदलें। राजभाषा हिन्दी के हक में अच्छी बात यह होगी कि सरकार अब खुद आगे आकर इस फैसले को नीतिगत रूप देने की पहल करे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

– दैनिक जागरण से साभार

स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती के निर्देशन में

पुरोहित प्रशिक्षण शिविर

दिनांक 10 जून से 25 जून, 2013 तक

स्थान : पातंजल योगग्राम, आर्यनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

पातंजल योगधाम में एक पुरोहित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें हाईस्कूल उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी भाग लेकर योग्य पुरोहित बनें। साथ ही प्रातः सायं ध्यान योग का क्रियात्मक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। शिविर में संस्कारों का प्रशिक्षण योग्य विद्वानों द्वारा दिया जायेगा। पूर्ण शिविर में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले योग्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण दिये जायेंगे।

प्रवेश शुल्क : 1000/– रुपये

– शरणमुनि, मन्त्री, मो:–9012772567, प्रबन्धक–मो:–9897804133

युवा, क्रान्ति की मशाल अपने हाथ में लें

नव सांस्कृतिक जन आन्दोलन के अग्रणी स्वामी अग्निवेश का पूरा जीवन प्रगतिशील जीवन मूल्यों, विश्व शान्ति, राष्ट्रीय एकता तथा समता मूलक समाज के निर्माण के लिए संघर्षशील रहा है। वे एक आधुनिक संन्यासी हैं इसलिए अपने क्रान्तिकारी विचारों को लेकर भी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के कोपभाजक भी रहे हैं। वर्तमान में वे युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। नित्यनूतन में उन्हीं के विचारों को एक साक्षात्कार के रूप में सर्व सुश्री संघमित्रा राय, नंदिनी चौधरी व श्री उत्कर्ष राय द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। (यह साक्षात्कार वर्तमान समय में भी अत्यन्त प्रासंगिक है अतः इसे अविकल रूप से यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है।)

प्रश्न :– आप एक संन्यासी हैं परन्तु आपके विचार क्रान्तिकारी हैं। आपको क्या यह नहीं लगता कि इन दोनों बातों में अन्तर है?

उत्तर :– मेरा जन्म एक तेलुगू मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। अर्थशास्त्र तथा कानून की शिक्षा प्राप्त कर मैंने कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का कार्य करना आरम्भ किया। उस समय मेरा परिचय प्रो. श्यामराव के नाम से था। वह दौर ऐसा था जब बंगालसमेत अनेक राज्यों में अतिवामपंथी आन्दोलन सरगर्म थे जो पूर्णतः हिंसा पर आधारित थे। उनका मानना था कि क्रान्ति बन्दूक की नाली से ही निकलती है। ऐसे समय में मेरा मनोमस्तिष्क भी इस

निर्मला देश पाण्डे

पूरे दौर को पढ़ रहा था। मैंने अनेक विचारधाराओं को पढ़ा व समझा और अन्ततः महसूस किया कि भारत में पूर्णतः भारतीय विचारधारा जो हमारी जड़ों से जुड़ी हो, ही इस देश में परिवर्तन का काम कर सकती। कोई भी उधार की विचारधारा हमारा मार्गदर्शक नहीं बन सकती। क्रान्ति को आयात नहीं किया जा सकता है। ऐसे में, मुझे महर्षि दयानन्द सरस्वती के ही विचार उपयोगी लगे और मैंने पाया कि आर्य समाज तथा उसका संगठन, इस परिवर्तन के कार्य को आगे बढ़ा सकता है और मैंने इन विचारों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लिया। क्रान्ति के लिए कुलवक्ती कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है जो अपने जीवन को उद्देश्यों के प्रति होम कर दें और मैंने भी उसी रास्ते को चुना। आर्य समाज का प्रचारक, एक संन्यासी बना और 'अग्निवेश' के नाम से जाना जाने लगा। संन्यासी मात्र मूंड मूंडना (सिर गंजा करना) व गेरू वस्त्र पहनना ही नहीं अपितु 'सत्योपदेश' का निष्पक्षता से पालन करना है। मैं किसी 'गुरुमंत्र कान फूंकू' संन्यासी नहीं हूँ परन्तु सत्य मंत्र को निर्भीकता से निरवैर होकर शंखनाद करने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए पोंगापंथी, कट्टरवादी व अज्ञानी लोगों की आलोचना का मैं पात्र बनता हूँ। मैं आलोचना, आत्म–आलोचना, अनुशासन व संगठन का कायल हूँ तथा इसका दृढ़ता से पालन करता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ भी बलिदान करना पड़े तो मैं तत्पर रहता हूँ। मेरे पथ प्रदर्शक स्वामी दयानन्द भी निन्दा, आलोचना व अपमान के कई बार पात्र बने, अनेकों बार विष दिया गया परन्तु वे सत्य मार्ग से अलग नहीं हुए अन्ततः धर्ममार्ग का पालन करते शहीद हो गये। मैं उन्हीं का अनुयायी हूँ तथा सिद्धान्तों के लिए सर्वस्व लुटाने को तैयार हूँ।

प्रश्न – आर्य समाज अब पूरी तरह से प्रतिक्रियावादी, साम्प्रदायिक ताकतों की गिरफ्त में है तथा इसके नेतृत्वकारी लोग आपकी भी भरपूर आलोचना करते हैं, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आपने गलत रास्ता चुना?

उत्तर – पहले तो पूरी तरह समझना होगा कि आर्य समाज कोई धर्म नहीं है। यह एक लोकतांत्रिक संगठन है, एक आंदोलन है। इसके संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती भी सत्य, सत्य के अर्थ के प्रचारक थे इसीलिए उन्होंने सभी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया तथा उस पर अपनी विषद् समीक्षा, सत्यार्थ प्रकाश में लिखी। वे पूरी तरह से एक जनतान्त्रिक व्यक्तित्व थे इसीलिए उन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में ही लिखा, 'इस ग्रन्थ में जो कहीं भूल–चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल–चूक रह जाये उसको जानने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जायेगा।' परन्तु निहित स्वार्थी लोग 'आर्य समाज' को एक धर्म मानने लगे तथा ऋषि दयानन्द के विचारों की मन माफिक व्याख्या करने लगे। एक क्रान्तिकारी संगठन पर सुनियोजित ढंग से 'विश्व हिन्दू परिषद्' सरीखे प्रतिगामी संगठनों ने कब्जा कर लिया। जो घोर मूर्ति पूजक व कर्मकांडी हैं। आर. एस. एस. तथा उनका राजनीतिक विंग भारतीय जनता पार्टी ऐसे तत्वों की पोषक बनी। परन्तु हमारा भी संघर्ष जारी है तथा एक मजबूत टक्कर, हमारे लोग दे रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही। एक संघर्षरत व्यक्ति कभी भी अपनी हार नहीं मानता तथा विजय पथ पर बढ़ता रहता है।

स्वामी अग्निवेश

प्रश्न : आप कश्मीर में बार–बार जाते हैं तथा कहते हैं वहाँ जाकर आप अलगाववादी नेताओं से भी मिलते हैं क्या यह विवादास्पद नहीं है?

उत्तर : कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है परन्तु वहाँ हिंसा का वातावरण सर्वत्र दिखाई देता है। दीदी निर्मला देशपाण्डे जी के निधन के पश्चात् सुश्री वीणा बहन, श्री एस. वर्मा जी तथा राम मोहन राय जी मेरे पास आये तथा उन्होंने कहा कि स्व. निर्मला दीदी अनेक बार जम्मू–कश्मीर गईं तथा वहाँ के माहौल में बदलाव की कोशिश की। वे 'गोली नहीं बोली चाहिए' की बात करती थीं। वे अब नहीं रही अब आप उनका अधूरा काम कीजिए और मैं पहली बार श्रीनगर उन लोगों के साथ गया तथा वहाँ की जनता के साथ–साथ अनेक नेताओं से भी मिला।

कश्मीर में मैं भयमुक्त होकर घूमा तथा अपने विचारों को प्रस्तुत किया। हम एक जनतान्त्रिक देश में रहते हैं जहाँ घूमने व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है। मैंने भी अपने अधिकार का पालन किया तथा दूसरे विचारों के व्यक्तियों की बातों को भी सुना। मेरा मानना है कि कश्मीर को मात्र पर्यटन, तीर्थ स्थल व रमणीय मानकर खुद अलगाव की बात करते हैं। कश्मीर, कश्मीरियों से है जो हमारे बहन–भाई हैं। वे हिंसा के शिकार हैं। उनकी बात सुनना व उनके घावों पर मरहम लगाना प्रत्येक भारतीय का धर्म है।

प्रश्न : अमरनाथ यात्रा सम्बन्धित आपके बयान की काफी आलोचना की गई है आखिर क्यों?

उत्तर : मेरे बयान को गलत ढंग से लिया गया। 'सर्व मम् मित्रम् भवन्तु' कहने वाला 'अग्निवेश' कैसे किसी की धार्मिक भावना का अपमान कर सकता है। अमरनाथ अथवा अन्य मूर्ति पूजा पर मेरे वे ही विचार हैं जो मेरे पथ प्रदर्शक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं परन्तु क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा **(हाई कोर्ट ने इस सम्बन्ध में स्वामी जी पर लगे सभी आरोपों को निरस्त करते हुए उनहें सम्मान बरी कर दिया है)**। मैं चाहूँगा कि आप सत्यार्थ प्रकाश का ग्याहरवाँ समुल्लास अवश्य पढ़ें।

प्रश्न : श्री अन्ना हजारे के आन्दोलन का आपने पहले तो समर्थन किया व बाद में विरोध, ऐसा क्यों?

उत्तर : भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन, भारतीय जनमानस का आन्दोलन है, इसे किसी व्यक्ति विशेष का कहना ठीक नहीं। भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन का मैं आज भी समर्थक हूँ। श्री अन्ना हजारे ने अपने व्यक्तित्व तथा विचारों से एक नई स्फूर्ति जगाने का काम किया। वे एक सात्विक तथा निष्कलंक व्यक्ति हैं, इसीलिए हम उनके साथ जुड़े। एक पूरा जनमानस भ्रष्टाचार विरोधी बना। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तथा कानून बनाने का काम संसद करती है। समूची संसद ने सर्व सम्मति से श्री अन्ना हजार के विचार का समर्थन करके उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की। परन्तु भद्र अन्ना हजारे की चौकड़ी के सामने विवश पाया। वैसे भी मात्र कानून बनने से ही भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। इसके लिए जन चेतना की जरूरत है। श्री अन्ना हजारे को घेरे लोगों के निहित व राजनैतिक स्वार्थों ने एक–एक करके अनेक साथियों को बाहर होने पर विवश कर दिया। इसे व्यक्तिगत समर्थन व विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

प्रश्न : टी. वी. सीरियल 'बिग बोस– में जाने की क्या जरूरत पड़ी। क्या आप जैसे संन्यासी को यह शोभा देता है?

उत्तर : 'बिग बोस' परिवार प्रत्येक मध्यम वर्गीय परिवार में विद्यमान है। मैंने यह कार्यक्रम कई दिन देखकर उसमें शामिल होने की स्वीकृति दी। संन्यासी भी समाज से जुड़े हैं, यदि समाज की मानसिकता का अध्ययन नहीं करेंगे तो सुधार का काम कैसे होगा। आपने भी देखा होगा कि इस सीरियल में मेरे रहने के दौरान इस लड़ाई–झगड़े के परिवार में सर्वत्र शान्ति रही तथा अनेक संवेदनशील गम्भीर मुद्दों पर विचार–विमर्श हुआ। अनेक युवाओं ने तो मुझे पेशकश की कि वे 'बेटी बचाओ' जैसे अनेक मुद्दों पर मेरे साथ काम करना चाहते हैं। पूरे देश से हजारों युवकों ने मुझसे सम्पर्क किया है। इससे ज्यादा शोभा की क्या बात हो सकती है।

प्रश्न : वर्तमान युवाओं से आपकी क्या अपेक्षा है?

उत्तर : युवा क्रांति का संवाहक है। शहीद चन्द्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पं. रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर क्रान्ति की मशाल को जलाये रखा है और आज भी वह ही इसका नेतृत्व करेगा। मैं वर्तमान युवा पीढ़ी के प्रति आशावान हूँ कि वे कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होंगे तथा क्रान्ति की मशाल को सदैव अपने हाथ में रखेंगे।

प्रश्न : 'नित्यनूतन' के पाठकों को क्या सन्देश देना चाहेंगे?

उत्तर : 'नित्यनूतन' पत्रिका, स्व. निर्मला देशपांडे जी की मानस पुत्री हैं। हम जानते हैं कि स्व. निर्मला दीदी का पूरा जीवन गाँधी, विनोबा विचार को समर्पित था। वे भारत की उन महान महिलाओं की परम्परा में थीं जिन्होंने वैदिक रचनाओं का आह्वान किया था। निर्मला जी का पूरा जीवन महिला शक्ति जागरण, सर्वधर्म समभाव तथा पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगा। सामाजिक कार्यों को उन्होंने सर्वोच्चता दी और अपने पूरे जीवन की आहुति राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में स्वाहा कर दी। स्व. दीदी के कार्यों को बढ़ाने की आज नितांत आवश्यकता है, परन्तु खेद का विषय है कि उनके बनाए हुए संगठन उस तरह से काम नहीं कर रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि स्व. दीदी की पत्रिका के संपादन का कार्यभार आप लोगों ने लिया है। पत्रिका का स्तर दीदी की अपेक्षा के अनुसार ही है। इसलिए पत्रिका प्रबन्धन बधाई का पात्र है तथा मेरी हर शुभकामनाएँ व सहयोग इस नेक कार्य के लिए है।

कठमुल्लापन और असमानता से लड़ने वाले योद्धा थे असग़र अली इंजीनियर

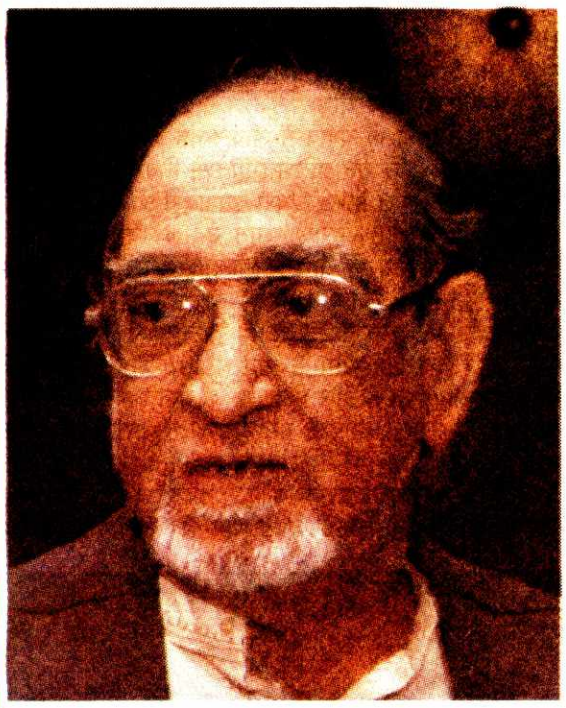

चिंतक, लेखक, धर्म सुधारक और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध असग़र अली इंजीनियर का निधन देश के लिए ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के उन लोगों और संगठनों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जो धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता और महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ संघर्ष में जुटे हुए हैं। इंजीनियर की याद में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनेक्सी के सभागार में बुधवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न वक्ताओं ने यह राय जाहिर की। सभा का आयोजन आल इंडिया सेकुलर फोरम, अमन बिरादरी, अनहद, इंसाफ, जेटीएसए, पीयूसीएल और सहमत ने मिलकर किया था। वक्ताओं में ज्यादातर वे लोग थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया। सभी ने उनके योगदान को याद किया और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

राजस्थान के दाऊदी बोहरा परिवार में 10 मार्च, 1939 में जन्में असगर अली इंजीनियर के बारे में न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर ने कहा कि वे धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ जीवन भर लड़ने वाले योद्धा रहे और समता और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में लगातार अपनी आवाज बुलंद करने वाले खुले दिमाग के अध्येता रहे। योजना आयोग की सदस्य सईदा हमीद ने कहा कि वे हमारे लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने मुसलिम महिलाओं के हक के लिए लगातार संघर्ष किया।

अमन बिरादरी के प्रमुख और समाजकर्मी हर्ष मंदर ने असगर अली को समाज सुधारक और प्रखर वक्ता बताते हुए कहा कि उन्होंने जहाँ धार्मिक कट्टरता और हिंसा के खिलाफ संघर्ष किया, वहीं शांति और सद्भाव को कायम करने के लिए भी अनेक यातनाएँ सहीं। उन्होंने कहा कि असगर ने उस समुदाय की रूढ़िवादिता के खिलाफ भी आजीवन अकेले संघर्ष किया, जिसमें उनका जन्म हुआ था। इसी के साथ उन्होंने पूरी ताकत के साथ मानवीयता, शांति और सहिष्णुता और मुसलिम समुदाय में लैंगिक समानता के लिए जोरदार वकालत की।

अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य केएन दारूवाला और समाजकर्मी शबनम हाशमी ने असगर अली के निधन को भारी क्षति बताते हुए कहा कि आज जबकि प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए जगह कम हो रही है, तब उनका चला जाना हम सभी को बहुत दिनों तक खटकेगा और निकट भविष्य में उनके कारण आई शून्यता की भरपाई भी नहीं हो पायेगी। प्रो. अपूर्वानन्द ने उन्हें अनथक योद्धा बताते हुए कहा कि वे असफलताओं के बावजूद मुस्कुराते रहते थे। उन्होंने असगर अली को परम्परा का आलोचक बताते हुए कहा कि परम्परा का आलोचक वही हो सकता है जो वास्तव में परम्परा का गहरा ज्ञाता होता है।

प्रफुल्ल बिदवई ने उन्हें गाँधी और मौलाना आजाद की परम्परा का समाज सुधारक बताते हुए कहा कि देश में जहाँ कहीं दंगा होता तो वे वहां जाकर दंगों के तथ्यों को जमा करते थे और उनके कारणों का अध्ययन करते थे ताकि कोई समाधान निकले। वरिष्ठ समाजकर्मी विजय प्रताप ने कहा कि उनके निधन से भारतीयों से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान और बांग्लादेश को हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके विचार और संदेशों को लेकर पूरे दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में काम करने की जरूरत है।

कविता श्रीवास्तव ने राजस्थान में मुसलिम महिलाओं के हित में उनके किए प्रयासों को याद किया तो उमा चक्रवर्ती ने भागलपुर दंगे के बाद उनके योगदानों को याद करते हुए कहा कि असगर अली ने देश के सभी दंगों का गंभीरता से अध्ययन किया था और समाधान के उपाय सुझाए थे। उन्होंने कहा कि महिला समानता के लिए उन्होंने जो काम किया, उसके कारण वे हमेशा याद किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों की सबसे बड़ी जीत यही हुई कि उनके निधन के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज में मुसलिम महिलाएं भारी संख्या में मौजूद थीं। कार्यक्रम का संचालन करती हुई वरिशा फरासत ने असगर को भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक राजनीति के मौजूदा दौर का सबसे बड़ा विश्लेषक और चिंतक बताया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें असगर अली इंजीनियर की ओर से यह संदेश प्रसारित हुआ कि धर्म लोगों के लिए है, लोग धर्म के लिए नहीं हैं।

-- जनसत्ता, 30 मई से साभार

श्री असगर अली इंजीनियर स्वामी अग्निवेश जी के विशेष मित्र थे इन दोनों ने मिलकर धार्मिक साम्प्रदायिक हिंसा और रूढ़िवाद के विरूद्ध कई आन्दोलन किये। डॉ. इंजीनियर बोहरा समाज के एकमात्र बड़े नेता थे। स्वयं बोहरा समाज के होकर भी बुलहानुद्दीन सैयदना के रूढ़िवादी और निरंकुश सत्ता के विरूद्ध डॉ. इंजीनियर आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने बोहरा मुस्लिम समाज में सुधारवाद की लहर पैदा की।

डॉ. इंजीनियर ने आर्य समाज द्वारा आयोजित नागपुर में प्रसिद्ध विचार संगोष्ठी में भाग लिया था जिसमें अन्य लोगों के अतिरिक्त स्वामी अग्निवेश जी, डॉ. रामप्रकाश जी, श्री धर्मवीर जी, श्री राजेन्द्र विद्यालंकार प्रवृत्त विद्वानों ने भाग लिया था।

श्री इंजीनियर वेदों को मानव मात्र के ज्ञान की सबसे पहली पुस्तक मानते थे और बहुत हद तक कठमुल्लावाद के विरोधी थे। वे स्वामी अग्निवेश जी के साथ पिछले कई वर्षों से नेशनल एण्टीगेशन कौंसिल के सदस्य रहे। उदयपुर के पास गलियाकोट की मस्ज़िद के संघर्ष में उन्होंने अपने साथ स्वामी अग्निवेश जी को भी शामिल किया तो दूसरी तरफ दिल्ली से मेरठ तक साम्प्रदायिकता के खिलाफ पैदल यात्रा में स्वामी जी ने असगर अली इंजीनियर को भी शामिल किया था।

सन् 2004 में स्वीडन की राजधानी स्काटहोम की पार्लियामेन्ट में स्वामी अग्निवेश जी तथा श्री असगर अली दोनों को एक साथ "राइट लाइवली हुड एवार्ड से नवाजा था। जिसे वैकल्पिक नोबोल पुरस्कार भी कहा जाता है। स्वामी अग्निवेश जी तथा असगर अली जी दोनों लगभग एक आयु के थे। उनके निधन से एक दिन पहले स्वामी अग्निवेश जी ने फोन से श्री इंजीनियर से बातचीत की थी तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की थी। उनके निधन पर स्वामी अग्निवेश जी ने कहा कि धर्म प्रचारक तो बहुत होते हैं पर धर्म सुधारक बहुत विरले होते हैं और उन्हीं विरले लोगों में डॉ. असगर अली का नाम इतिहास में अमर रहेगा।

आर्य वीरांगना सशक्तिकरण शिविर का भव्य समापन समारोह
आर्य वीरांगनाओं का भव्य लाठी,जूडो कराटे एवं व्यायाम–प्रदर्शन

हापुड। रविवार 2 जून 2013, आर्य कन्या इन्टर कॉलिज, स्वर्ग आश्रम रोड, हापुड में आर्य उप–प्रतिनिधि सभा गाजियाबाद–हापुड, आर्य समाज हापुड एवं केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के तत्वावधान में आयोजित 26 मई से 2 जून तक 8 दिवसीय "आर्य वीरांगना सशक्तिकरण शिविर" का आज भव्य समापन समारोह का शुभाआरम्भ आर्य उप–प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री मायाप्रकाश त्यागी, आत्म् योग संस्थान दिल्ली के अध्यक्ष ब्रह्ममुनि आचार्य सत्यवीर जी और इसी विद्यालय के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार अग्रवाल एवं केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के प्रातीय महामंत्री प्रवीण आर्य आदि नें ओ३म् ध्वजा फहराकर किया। छात्राओं द्वारा ओ३म् ध्वज गीत गाकर समारोह प्रारंभ हुआ।

विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था पर एफ. डी. आई. का हमला

– देवेन्द्र स्वरूप

राजधानी दिल्ली के एयर कंडीशंड कमरों में बैठकर कृषि और व्यापार की नीतियाँ बनाने वाले नौकरशाहों पर अमरीका और यूरोप की मॉल संस्कृति का जादू इस कदर छा गया है कि वे भारत की परम्परागत सीढ़ीनुमा विकेन्द्रित एवं स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने पर तुल गये हैं। शायद वे नहीं जानते या जानकार भी अनजान बने रहना चाहते हैं कि पिछले दो वर्षों में अमेरिका और यूरोप के तथाकथित समृद्ध देश मंदी की जिस चपेट में फंस गये थे, उससे भारत इसी परम्परागत अर्थव्यवस्था के कारण बचा रह गया था। अमरीका में बेरोजगारी की जो बाढ़ आई, जिसके कारण राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत और चीन को अमरीका का मुख्य प्रतिद्वन्द्वी घोषित कर दिया और अमेरिका में रोजगार के अवसरों की बाड़ाबन्दी शुरू कर दी, उसका श्रेय भारत की इस परमपरागत विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को ही जाता है।

खेती पर निर्भरता

भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग आज भी खेती से जुड़े अवसरों पर निर्भर है। उसके बाद दूसरे नम्बर पर वह विशाल वर्ग आता है, जो खुदरा बाजार से अपनी जीविका कमाता है। सर्वेक्षणों के अनुसार इन खुदरा व्यापारियों और उन पर निर्भर कर्मचारियों की संख्या चार करोड़ से अधिक है, कम नहीं। सोलह करोड़ प्राणियों का भरण–पोषण इस खुदरा व्यापार पर निर्भर है। इस खुदरा व्यापार पर चार लाख करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है। सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) का साढ़े सात प्रतिशत भाग खुदरा व्यापार से आता है। पर, इस विशाल पूँजी पर अमेरिका की तरह कुछ मुट्ठीभर फर्मों या घरानों का कब्जा नहीं है, वह करोड़ों छोटे–बड़े खुदरा व्यापारियों में बिखरी हुई है। अपनी–अपनी हैसियत के अनुसार कम अधिक पूँजी से छोटी सी दुकान या खोमचा लगाकर वे अपना पेट पालते हैं, पर वे स्वतंत्र हैं, स्वावलम्बी हैं। हमारे देश ने स्वावलम्बन को सबसे अधिक महत्त्व

दिया है। इसके आधार पर ही जीविका के साधनों का वर्गीकरण किया है। भारत के देहातों में अभी भी यह पुरानी कहावत दोहरा दी जाती है।

उत्तम खेती, मध्यम बान। निकृष्ट नौकरी, भीख निदान। अर्थात् पहला स्थान खेती को, दूसरा स्थान व्यापार (बान) को दिया गया, नौकरी को निकृष्ट माना गया और भीख तो सर्वथा त्याज्य है। पर अब नौकरी को ही प्रथम स्थान दिया जा रहा है। लोग खेती या स्वतंत्र व्यापार के बजाय सफेदपाश नौकरी पाने के लिए ललक रहे हैं। भारत की विशाल जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खुदरा व्यापार में नौ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है जबकि अमरीका और यूरोप के बाजारों पर जड़ता छा गई है, उनकी वृद्धि लगभग थम गई है। इसलिए वालमार्ट, टेस्को, केरेफोर आदि–आदि विशाल पूँजीपति कम्पनियाँ भारत के इस वर्तमान बाजार को ललचाई दृष्टि से देख रही है और बिकाऊ नौकरशाहों के माध्यम से खुदरा बाजार के क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए भारत सरकार पर दबाव बना रही है। विगत 6 जुलाई को भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग (डीआईपीपी) ने वाणिज्य मंत्रालय से सिफारिश की है कि किराना या खुदरा बाजार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अविलम्ब लागू कर दिया जाए और आगामी पाँच वर्षों में उसे शत–प्रतिशत कर दिया जाए। इस विभाग ने अपनी सिफारिश के समर्थन में जो विचार–पत्र सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी किया है, उसे इन विदेशी पूंजीपतियों का प्रचार पत्र कहना अधिक उचित होगा।

यथार्थ से परे

खुदरा व्यापार में विदेशी कम्पनियों के प्रवेश के पक्ष में जो तर्क दिये गये हैं उनका भारत के यथार्थ से कुछ लेना–देना नहीं है। कहा गया है कि इससे ग्राहकों को कम कीमत पर अच्छी किस्म के उत्पाद उपलब्ध होंगे। किसानों को उनके उत्पादन की अधिक कीमत मिलेगी क्योंकि ये विदेशी कम्पनियाँ खेत से रसोई तक माल पहुँचाने के एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक तंत्र को खड़ा कर देगी। उनके प्रवेश से आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और उत्पादों का भारत में प्रवेश होगा। इन तर्कों को भारत सरकार और देश के पश्चिमाभिमुखी शहरी मध्यम वर्ग के गले उतारने के लिए खूब लेख लिखे जा रहे हैं, आँकड़े गढ़े जा रहे हैं। 'लॉबिंग' पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। अमेरिकी सीनेट के समक्ष पेश एक रिपोर्ट के अनुसार वालमार्ट भारत के खुदरा बाजार में पूंजीनिवेश की अनुमति पाने के लिए दो साल में 52 करोड़ रुपये 'लॉबिंग' पर खर्च कर चुकी है। वर्ष 2010 की पहली तिमाही में ही उसने 'लॉबिंग' पर छह करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं। यह रुपया कहाँ गया?किसकी जेब में गया?कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में भ्रष्टाचार का जो विकराल रूप सामने आया है उसे देखकर यह कहना अतिशंयोक्ति नहीं होगी कि भ्रष्टाचार का घुन हमारे राजनीतिक व प्रशासन तंत्र की रग–रग में घुस चुका है और कोई भी विदेशी कम्पनी हमारे नौकरशाहों का इस्तेमाल कर सकती है, शायद वालमार्ट जैसी बड़ी विदेशी कम्पनियाँ भी यही कर रही हैं।

झूठी आँकड़ेबाजी

इस झूठी आँकड़ेबाजी और तर्कजाल का सर्वाधिक प्रभाव विदेशी कम्पनियों में नौकरी पाने वाले नव धनाढ्य शहरी मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। वह क्रेडिट कार्ड वाली मॉल संस्कृति को अपने अनुकूल पाता है। पर वह भूल रहा है कि जितनी मात्रा और तेज गति से गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर परिवारों की संख्या बढ़ रही है, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी?कौन करेगा ?

अभी तो भारत की पारम्परिक सीढ़ीनुमा अर्थव्यवस्था में एक कम पढ़ा लिखा गरीब आदमी भी सड़क के किनारे चाय का खोमचा लगाकर अपना गुजारा कर लेता है। गाँव की बुढ़िया भी ताजी सब्जी टोकरे में रखकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। खोमची रेहड़ी वाले मध्यमवर्गीय बस्तियों में माल लेकर पहुँच जाते हैं। एक निम्न मध्यम वर्ग की महिला अपने घर के एक कोने में रोजमर्रा की जरूरतों का खेमचा लगाकर मुहल्लेवालों को तुरन्त उत्पाद सुलभ करा देती है। साप्ताहिक बाजारों में पहुँचकर ग्रामवासी और मध्यम वर्गीय महिलाएँ 'मल्टी ब्राण्ड मॉल की सुविधा पा जाती है। एक ही बाजार में उन्हें सब स्तर का सब कुछ मिल जाता है। हर एक को अपनी हैसियत और रुचि के अनुसार वस्तुएँ मिल जाती हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि उसी वस्तु का दाम पटरी बाजार से सदर बाजार, करोल बाग और साउथ एक्सटेंशन के स्टोर्स पर बढ़ता चला जाता है। पटरी पर बैठने वाले का खर्च कुछ नहीं है, साउथ एक्सटेंशन तक पहुँचते–पहुँचते दुकान के किराए और ठाठबाट का खर्चा उसमें जुड़ता जाता है और वही वस्तु महंगी होती जाती है। वालमार्ट की एक खुदरा दुकान के लिए 85000 वर्ग फुट जमीन चाहिए जबकि भारत के डेढ़ करोड़ खुदरा दुकानों में से केवल 4 प्रतिशत दुकानों के पास 500 वर्गमीटर या थोड़ा अधिक स्थान होगा। अधिकांश तो बहुत थोड़ी जगह में काम चला लेती है। विदेशी पूंजी से खुले मॉल में कर्मचारियों की फौज होगी, ग्राहकों को लुभाने के लिए सुन्दर कन्याओं को खड़ा किया जायेगा, मॉल की जगमग पर बिजली का भारी खर्च होगा, क्रेडिट कार्ड की सुविधा होगी। यह सब खर्चा ग्राहक की जेब से नहीं तो कहाँ से आयेगा?मॉल की दर में नहीं जुड़ेगा तो कैसे होगा?प्रारम्भ में ये कम्पनियाँ पुराने दुकानदारों को उखाड़ने के लिए सस्ती दरों पर बेचेंगी, 50 से 90 प्रतिशत तक रियायत घोषित करेंगी। पर पुराने दुकानदार के उखड़ जाने पर वे अपना असली रंग दिखायेंगी। अपनी विशाल पूँजी के कारण अपने छोटे प्रतिद्वन्द्वी को उखाड़ने तक घाटा सहन करने की क्षमता उनके पास है। पर उसका अन्तिम परिणाम पूँजी की एकत्रीकरण और आर्थिक विषमता को बढ़ाने में होगा। इस दृष्टि से जरा वालमार्ट को देखो। उसकी सालाना आमदनी 350 अरब डॉलर से अधिक है। दुनिया के 88 देशों में उसके 4800 से अधिक स्टोर हैं। उसके पास 14 लाख कर्मचारियों की फौज है।

निराधार बात

किसानों को उनके उत्पादन का अधिक मूल्य मिलने की बात तो बिल्कुल निराधार है। प्रारम्भ में अधिक भाव देकर वे किसानों को ठेके के अनुबन्ध में बाँध देंगी। किसान उनका गुलाम हो जायेगा। अठारहवीं शताब्दी का ईस्ट इण्डिया कम्पनी का इतिहास फिर से दोहराया जायेगा। पर यह आर्थिक गुलामी को न्यौता देने के समान है।

अनाज के भण्डारण में भारत सरकार की विफलता का लाभ उठाने के लिए ये विदेशी कम्पनियाँ अनाज और सब्जी की अपनी भण्डारण क्षमता का प्रचार कर रही है। यह स्थिति अनाज के व्यापार में सरकार के प्रवेश के कारण पैदा हुई है। मुझे अपने बचपन की याद है। तब अनाज का पूरा व्यापार स्थानीय दुकानदारों के पास था। हमारे कस्बे में आसपास के गाँवों से किसान लोग बैलगाड़ियों व घोड़ों पर लादकर अपना अनाज लाते थे। मण्डी में उनके उत्पादन पर भाव की बोली लगती थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को किसान अपना माल बेचता था। अनाज के भण्डारण के लिए हमारे यहाँ कई अहातों में जमीन के भीतर गहरी खत्तियाँ बनी थीं। प्रत्येक आढ़ती की खत्ती सुनिश्चित थी। वह अनाज खरीदकर उस खत्ती में डालता जाता था। खत्ती नीचे चौड़ी होती थी, ऊपर उसका छोटा सा मुँह होता था। अन्दर अनाज को सुरक्षित रखने के लिए धान की भूसी का अस्तर लगाया जाता था। नीम की पत्तियाँ उसमें छोड़ी जाती थी, और खत्ती के मुँह को हवा बन्द कर दिया जाता है। जब से सरकार अनाज की खरीददार बनी, अनाज सड़ने लगा, पर गरीबों के लिए दुर्लभ हो गया।

भारत की प्राणशक्ति

विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था में ही भारत की प्राणशक्ति है। पूँजी केन्द्रित पश्चिमी मॉडल को अपनाकर हम कहीं के नहीं रहेंगे। पर हमारी सरकार आँख मूँदकर अर्थव्यवस्था के पश्चिमीकरण एवं पूंजीकरण की ओर दौड़ रही है। विदेशी पूँजी के दबाव में आकर वह 1997 में कैश एण्ड कैरी (थोक व्यापार) में शत प्रतिशत विदेशी निवेश का द्वार खोल चुकी हैं, 2006 में एकल ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 50 प्रतिशत निवेश की अनुमति दे चुकी है। इसका लाभ उठाकर वालमार्ट ने एक भारतीय कम्पनी भारती के साथ मिलकर अमृतसर, जालंधर और चण्डीगढ़ के निकट स्टोर स्थापित कर लिये हैं। अब खुदरा किराना मार्केट में घुसने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस अभियान में नौकरशाही आगे है, नव धनाढ्य शहरी मध्यम वर्ग उसकी ओर आकर्षित है और विचारक व राजनेता वर्ग उदासीन हैं। डेढ़ करोड़ खुदरा व्यापारी वर्ग पूरी तरह असंगठित हैं, वह किसानों की तरह तोड़–फोड़ की आक्रामक नीति अपनाने में अक्षम है। इसलिए राजनेता वर्ग उसकी ओर से उदासीन है। वह किसान आन्दोलन को तो लपककर पकड़ रहा है। अलीगढ़ जिले में

किसानों द्वारा की गयी तोड़फोड़ से उत्साहित होकर अजीत सिंह, मुलायम सिंह से लेकर राहुल तक वहाँ पहुँच गये, उड़ीसा, कर्नाटक आदि राज्यों में किसान आन्दोलन की आग पर अपनी राजनीति की रोटियाँ सेंकने की प्रतिस्पर्धा में लग गये हैं। पर पटरी या रेहड़ी पर खोमचा लगाने से लेकर एक छोटी सी दुकान पर बैठकर पेट भरने वाले खुदरा व्यापारियों के भविष्य की किसी को चिन्ता नहीं। वे आई. टी. को ही जीविकोपार्जन का मुख्य साधन मानने लगे हैं। वे भूल जाते हैं कि इस देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जो कम पढ़े लिखे, कम पूंजीवाले होकर भी खुदरा व्यापार से अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। आश्चर्य तो उस बुद्धिजीवी वर्ग पर होता है, जो वेश्याओं और विकलांगों की दुर्दशा पर तो घड़ियाली आँसू बहाता है, पर समूचे व्यापारी वर्ग को शोकषक व पूँजीपति समझने का भ्रम पाल बैठा है। आर्थिक स्वालम्बन के लिए विदेशी पूंजी के प्रवेश को रोकना आवश्यक है। भारतीय कुटीर उद्योगों व संयमित उपभोग की परम्परागत जीवनशैली को बचाने का भी यही एक मार्ग हो सकता है। इस दृष्टि से इकानॉमिक टाइम्स (23 अगस्त, 2012) में आई. आई. एम. बंगलूरू के प्रोफेसर जानतशाह एवं स्वतंत्र शोधकर्ता एम. जी. सुब्रमण्यम ने एक संयुक्त लेख में खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के पक्ष में प्रचारित सब मिथकों का तथ्यपूर्ण खण्डन किया है। अर्थशास्त्री कमलनयन काबरा और आनन्द प्रधान ने भी इसके खतरों का तथ्यात्मक विवेचन किया है। अच्छा हो कि स्वदेशी जागरण मंच इस महत्त्वपूर्ण विषय पर थाईलैण्ड जैसे देशों के अनुभवों को समेटते हुए शोधपरक पुस्तिका तैयार करें।

– अयोध्या संवाद से साभार

सम्माननीय विद्वानों तथा सुधी पाठकों की सेवा में

आत्म–निवेदन

वैदिक सार्वदेशिक समूचे विश्व के आर्यजनों के लिए लोकप्रिय एवं मार्गदर्शक पत्र है कोटि–कोटि आर्य जनता की भावनायें इस पत्र के माध्यम से प्रेरित होती है। आर्यजनों की भावनाओं को और अधिक प्रेरित और उत्साहित करने के उद्देश्य से आर्य जगत के यशस्वी विद्वानों तथा सुधी पाठकों से राष्ट्रीय सामाजिक एवं धार्मिक विचारों से ओतप्रोत विचारोत्तेजक लेख तथा अन्य सामग्री सादर आमन्त्रित है। इसके साथ ही वैदिक सार्वदेशिक आपको कैसा लगता है तथा इसको और अधिक ज्ञानवर्धक तथा प्रेरणादायी बनाने के लिए आपके सुझाव तथा प्रतिक्रिया की भी प्रतीक्षा रहेगी। कृपया अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराते रहें। अपने लेख सुन्दर, स्पष्ट लिखकर अथवा टाइप करवाकर ई–मेल अथवा डाक द्वारा भेजें तथा अपना पूर्ण पता अवश्य लिखें। धन्यवाद।

– सम्पादक

9 जून बलिदान दिवस पर विशेष

महान क्रांतिकारी शहीद बिरसा मुण्डा अमर रहें

– जे. आर. ठाकुर, सरगुजा, छत्तीसगढ

सर्वहारा वर्ग की विजय के लिए, जल–जंगल–जमीन की रक्षा हेतु देश के असंख्य गरीब, किसान–मजदूर और आम आदमी को संगठित कर आंदोलन को गति देने वाले महान् शहीद क्रांतिकारी बिरसा मुण्डा का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। 9 जून, 1900 को बिरसा मुण्डा शहीद हो गये। इस दिन को देश के मूल निवासियों ने स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया। मात्र 25 वर्ष की उम्र में प्राण न्यौछावर करने वाले बिरसा के मन में 10 वर्ष की उम्र से ही क्रांति के बीज पनपने लगे थे। उन्होंने देखा कि हमारे पूर्वज मेहनत करके अनुपजाऊ भूमि को खेती करने लायक करते हैं, जंगलों की सफाई कर रास्ता बनाते हैं, फसल उगाते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है तब सामंत, जमींदार, ठेकेदार और पूंजीपति फसल काटकर ले जाते हैं। राजाओं को लगान देना पड़ता है और नहीं देने पर सजा भोगनी पड़ती है। काम के पैसे नहीं दिये जाते। मुफ्त में बेगारी कराई जाती है। इस क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने बिरसा के मन को विचलित कर दिया। वे तुमड़ी और बांसुरी बजाते हुए घने जंगलों के बीच निकल जाते और एकांत में बैठकर इन समस्याओं के बारे में सोचते। उनका अंत करने की योजनाएँ बनाते। यह सोच उन्हें क्रांति के मार्ग पर ले गई। कक्षा पांचवी के बाद पढ़ाई छोड़कर वह गाँव–गाँव घूमकर लोगों से अपने मन की बात कहने लगे। लोगों को समझाने और संगठित करने लगे। लोगों को जोड़ने और संगठन खड़ा करने में बिरसा को 10 साल लग गये। बाहरी ताकतें जो छोटा.नागपुर संथाल परगना में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थीं, बिरसा उन्हें धिकू कहा करते थे। इन धिकू लोगों ने आदिवासियों का जीना मुहाल कर दिया था।

बिरसा की हिम्मत, ताकत के समक्ष धिकू परास्त हो चुके थे इसलिए सामंतों, जमींदारों और पूंजीपतियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर बिरसा को कैद करने की योजना बनाई। घिनौना षड्यन्त्र रचा। अंग्रेजी सत्ता के विरोधी बिरसा मुण्डा को पकड़ने के लिए उन्होंने आदिवासियों को पैसे दिये, खूब लालच दिया और कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण दुश्मनों की साजिश सफल हुई और बिरसा मुण्डा पकड़े गये। 1897 में उन्हें जेल जाना पड़ा।

एक कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है। उसी तरह आदिवासियों के खिलाफ जाति, धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर भेदभाव पैदा करके लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। समझदारी न होने के कारण सीधे लोग बहकावे में आकर अपने ही भाई–बंधुओं को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस षड्यन्त्र को समझना होगा। 'एक तीर, एक कमान' वाली भावना एकता और समझदारी पैदा होनी चाहिए। बिरसा भी आदिवासियों की अटूट एकता चाहते थे। यह एकता की सच्ची भावना ही बिरसा मुण्डा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

कुछ लोग बिरसा मुण्डा के इतिहास का गलत प्रचार–प्रसार कर रहे हैं। 15 नवम्बर, 2011 को बिरसा जयंती के अवसर पर जारी एक पैम्प्लेट में यह उल्लेख किया गया कि चैतन्य महाप्रभु से आध्यात्मिक चर्चा सुनने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। जिन्हें चैतन्य महाप्रभु के जन्म एवं शरीर के त्याग करने की जानकारी नहीं है, वे लोग इस झूठ को सच मान लेंगे लेकिन यह सही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया नामक स्थान पर सन् 1486 में हुआ था। सन् 1534 में महाप्रभु ने जल समाधि ली थी। जल समाधि के समय उनकी आयु 48 वर्ष थी। इस तथ्य का उल्लेख 'चैतन्य महाप्रभु : एक जीवन झाँकी' के लेखक डॉ. विजयेन्द्र स्नातक की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 एवं 21 पर किया गया है। उस समय बिरसा मुण्डा इस धरती पर पैदा नहीं हुए थे। बिरसा का जन्म 15 नवम्बर, 1875 को हुआ था। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और बिरसा के जन्म में 389 वर्ष का फासला है। इस प्रकार के असत्य और भ्रामक प्रचारों से हम सभी को सावधान रहना चाहिए। इस तरह के गलत इतिहास लेखन से आम आदमी को भ्रमित करना हमारे महान् क्रान्तिवीरों का अपमान है और अक्षम्य अपराध है। बिरसा मुण्डा सिंगबोंगा के उपासक थे। उन्होंने बिरसा पंथ की स्थापना की थी। आदिवासी भाइयों और बहनों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए नशा–मुक्ति का अभियान चलाया था। जल–जंगल–जमीन की सुरक्षा और अपने पितरों, देवताओं और माता–पिता की पूजा करने का संदेश दिया था। श्रम और शक्ति से जीविका उपार्जन करने पर जोर दिया था। गलत इतिहास लिखकर प्रचार करना धोखाधड़ी है और इसका प्रखर विरोध होना चाहिए। बिरसा की आस्था, स्वतंत्रता चेतना और भाई–चारे में थी। वह हर प्रकार के अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध करते थे। उन्हें हर प्रकार की गुलामी से नफरत थी और आजीवन वह इसके खिलाफ लड़ते रहे।

आदिवासी भाइयों और बहनों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए नशा–मुक्ति का अभियान चलाया था। जल–जंगल–जमीन की सुरक्षा और अपने पितरों, देवताओं और माता–पिता की पूजा करने का संदेश दिया था। श्रम और शक्ति से जीविका उपार्जन करने पर जोर दिया था। गलत इतिहास लिखकर प्रचार करना धोखाधड़ी है और इसका प्रखर विरोध होना चाहिए। बिरसा की आस्था, स्वतंत्रता चेतना और भाई–चारे में थी। वह हर प्रकार के अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध करते थे। उन्हें हर प्रकार की गुलामी से नफरत थी और

जिस समय बिरसा मुण्डा पैदा हुए थे तब देश में विप्लव का समय था। लोगों का ध्यान सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों पर था। अंग्रेजों और देशी शोषकों के प्रति बिरसा मुण्डा का विद्रोह भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की ही मूल्यवान विरासत है। हमें इस विरासत का सम्मान करना चाहिए। आदिवासियों में जनेऊ संस्कार नहीं होता है। बिरसा मुण्डा की कुछ तस्वीरों में उन्हें जनेऊ के साथ दिखाया जाता है। यह लोगों को भ्रमित करने का खेल है। इस भ्रमजाल से निकल कर हम सभी को बिरसा मुण्डा को महान् क्रांतिकारी और आदिवासी महानायक के रूप में स्वीकार कर उनके आदर्शों पर चलना चाहिए।

– दिलबर बाबा आश्रम समिति, रौनी, छिदली बगीचा जशपुर, छत्तीसगढ़

निःशुल्क ध्यान योग विज्ञान शिविर एवं बृहद् यज्ञ

सोमवार 24 जून से 30 जून, 2013 तक

शिविराध्यक्ष एवं यज्ञ ब्रह्मा : आचार्य राजहंस मैत्रेय, आत्मशुद्धि आश्रम, बहादुरगढ़

आसन, प्राणायाम प्रशिक्षण : योनिष्ठ सत्यपाल जी वत्स आर्य, बहादुरगढ़

प्रवक्ता : डॉ. मुमुक्षु आर्य, नोएडा, आर्य तपस्वी सुखदेव जी, दिल्ली, आचार्य खुशीराम जी – दिल्ली, योगाचार्य रामजीवन जी, रंगपुरी, स्वामी रामानन्द जी सरस्वती, आचार्य रवि शास्त्री

भजनोपदेशक : पं. रमेशचन्द्र जी कौशिक झज्जर, श्रीमती प्रीति आर्या स्नातिका गुरुकुल चोटीपुरा, योगसाधिका रामदुलारी बंसल और आश्रम के ब्रह्मचारी।

नोट :– शिवरार्थी अपना आवश्यक सामान कॉपी, पेन, योगदर्शन, टार्च आदि साथ लेकर आएँ। भोजन, आवास की व्यवस्था आश्रम की ओर से निःशुल्क रहेगी। शिविरार्थी आने से पूर्व पर सूचित अवश्य करें। आश्रम दिल्ली रोड पर बस स्टैण्ड के निकट है।

निवेदक, – सत्यानन्द आर्य

प्रधान ट्रस्ट, दर्शन कुमार अग्निहोत्री, मन्त्री ट्रस्ट एवं सर्व सदस्यगण, मो.:–9812640989

बृहद विमान शास्त्र के आधार पर विमान शक्तियाँ

किसी प्राचीन किले के खण्डहरों को देखकर ही उसकी भव्यता का आभास हो जाता है। सन् 1918 में पूज्य स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक को राजकीय संस्कृत पुस्तकालय बड़ौदा से महर्षि भरद्वाज द्वारा सूत्र रूप में रचित "यन्त्र सर्वस्व" ग्रन्थ के वैमानिक प्रकरण के कुछ पन्नों की Transcript Copy मिली जिसको स्वामी जी ने 'बृहद् विमानशास्त्र' का नाम दिया। इस पुस्तक का श्लोकबद्ध भाष्य यति बोधानन्द ने किया था। इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद स्वामी ब्रह्ममुनि परिब्राजक जी ने 19 सितम्बर, 1958 ई. को पूर्ण किया। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली ने इस पुस्तक को फरवरी, 1959 ई. को प्रकाशित किया। ज्ञातव्य हो कि वेदों के प्रकाण्ड विद्वान श्री ब्रह्ममुनि जी से 7 अप्रैल, 1970 को दयानन्द मठ रोहतक में स्वामी अग्निवेश जी ने तथा स्वामी इन्द्रवेश जी ने सीधे संन्यास की दीक्षा ली थी। तब स्वामिद्वय के नामों के आगे "परिब्राजक" शब्द स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने लगाया था।

'बृहद विमान शास्त्र' के आधार पर विमान शक्तियों का एक चार्ट

क्र. सं.	शक्ति का नाम	शक्ति का कार्य	शक्ति यन्त्र का नाम	शक्ति के स्रोत का नाम	संकेताक्षर	शक्तियों का स्पष्टीकरण
1.	उद्गमा शक्ति	विमान को ऊपर ले जाना	तुन्दिल	अदिति	म	द्यौ अर्थात् अग्नि तथा विद्युत से विमान ऊपर जाता है।
2.	पंजरा शक्ति	विमान को नीचे लाना	पन्जर	पृथ्वी	ल	पृथ्वी की आकर्षण शक्ति तथा विमान की विशेष रचना।
3.	सूर्य शक्ति अपकर्षणी	सूर्य शक्ति से उत्पन्न दोषों का निवारण	अशुंप	वायु	य	सूर्य किरणों के दोष का निवारण वायु से होता है।
4.	परशक्ति अपकर्षणी	सब शक्तियों को रोक देना	अपकर्षक	सूर्य	र	मूल शक्ति तथा विमान का सम्पर्क हट जाना।
5.	द्वादश शक्तियाँ	विमान का विचित्र गमन	सान्धनिक	अर्क	स	विद्युत पंखों को विविध गति प्रदान करना।
6.	कुण्टिणी शक्ति	सूर्य शक्ति का उपयोग	दार्पणिक	अमृत	व	विमान के लिए सोलर एनर्जी का निर्माण करना।
7.	मूल शक्ति	सब शक्तियों को चलाना	शक्तिप्रसवक यंत्र	अम्बर	न	विशेष वनस्पति तेल से विमान इंजन का चलाना तथा इस इंजन से इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाना।

– कृपाल सिंह वर्मा
253, शिवलोक, कंकरखेड़ा, मेरठ

NDPSo on 7/8 जून, 2013
प्रकाशन की तिथि : 6 जून, 2013
वैदिक सार्वदेशिक 6 से 12 जून, 2013
पंजीयन संख्या DELMUL/2005/15488
डाक पंजीकरण संख्या DL(c)-01/1213/12-14
Licence to Post without prepayment of Postage. [U (c)-289/2012-14]

माओवादी हिंसा मिट सकती है बशर्ते सरकार हो ईमानदार

— अविनाश पांडेय समर

हत्याएँ हमेशा घृणित होती हैं। बर्बर तरीके से की गई हत्याएँ और भी ज्यादा, क्योंकि हर हत्या इंसानियत कम करते हुए सबको थोड़ा कम इंसान और थोड़ा ज्यादा पाशविक बनाती है। हत्यारे को भी, शिकार को भी और देख रहे लोगों को भी। इसीलिए माओवादी लड़ाके तैयार करने वाली कोई असेंबली लाइन वाली फैक्टरी है। लिहाजा, वह भी अपने ही समाज से आते होंगे। फिर ऐसा क्या है, जो उन्हें ऐसे नैराश्य से भर रहा है, उनको अपना जीवन देने और दूसरों का लेने वाली अतिवादी पर उतारू शहरी मध्यवर्गीय को क्या इस मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार भी है या नहीं?दूसरों की जान की कीमत पर बदला लेना बहुत आसान होता है, दूसरों की जान की इज्जत कर समस्या को

सुकमा में परिवर्तन यात्रा से लौट रहे काफिले पर बर्बर हमला कर दो दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार देने वाला माओवादी हमला घृणित हरकत है। ऐसे बर्बर हमलों को किसी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। फिर वह आधार चाहे महेन्द्र कर्मा जैसे उस नेता की उपस्थिति ही क्यों न हो, जिसके बनाए सलवा जुडूम को सर्वोच्च न्यायालय ने ही गैरकानूनी बताकर भंग करने का आदेश दिया हो। बेशक महेन्द्र कर्मा दोष सिद्ध अपराधी न हों, लेकिन माओवादियों ही नहीं, किसी को भी उनकी जान लेने का अधिकार नहीं है। अब ऐसे में किसी की भी हत्या को कोई उचित कैसे ठहरा सकता है?पर यह हमला तमाम बड़े सवाल खड़ा करता है और उन सवालों से सीधी मुठभेड़ किए बिना राज्य और माओवादियों दोनों की तरफ से आम नागरिकों की जान की कीमत पर लड़े जा रहे इस युद्ध को खत्म करने की कोई संभावना नहीं बनेगी। पहला सवाल यह है कि सैकड़ों की तादाद में आकर अपनी भी जान की कीमत पर हमला करने वाले ये माओवादी कौन हैं?दूसरा सवाल यह कि अपने ही राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे ये लोग कहाँ से आते हैं?यह तो तय है कि माओवादी उन्हें खेतों में नहीं उगाते, न ही उनके पास और अंतहीन हिंसा की तरफ धकेल रहा है?ऐसा क्या है, जो उनकी नजर को इस हद तक बांध के रख रहा है कि वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके इस 'वर्ग संघर्ष' में उनके ठीक सामने खड़ा दुश्मन उनके ही वर्ग के किसी पुरबिया किसान का बेटा होता है या किसी तरह से जीवन चला लेने के लिए बेहद कम तनख्वाह देने वाली नौकरी की वर्दी पहने उत्तर पूर्व का कोई गरीब आदिवासी नौजवान होता है। बेशक, सुकमा हमले में माओवादियों के मुताबिक शासक वर्ग से आने वाले कुछ लोग भी मारे गए हैं, लेकिन अक्सर तो वह जंग से बहुत दूर सुरक्षित स्थानों में बैठ पैदल सिपाहियों की ही आहुति दे रहे होते हैं।

इस हमले पर आई प्रतिक्रियाओं पर ही गौर करें तो यह नुक्ता और साफ हो जायेगा। सोचिए कि अगर दंतेवाड़ा के चिंतलनार में 76 जवानों को मारा जाना लोकतंत्र पर हमला नहीं था तो यह वाला क्यों है?इसलिए क्योंकि वे जो मारे गए थे, देश का राजनीतिक नेतृत्व नहीं, बल्कि पैदल सिपाही थे?क्या इसलिए कि इस देश का लोकतंत्र नेताओं के अपने शरीरों में सिमट गया है?तीसरा सवाल यह कि अपने घरों के भीतर सुरक्षित बैठे खबरिया चैनलों द्वारा पैदा किए गए उन्माद के सहारे बदला लेने ऐसे सुलझाना कि जान जाने की नौबत ही न आए, बहुत मुश्किल। वास्तव में यह विकास बनाम आदिवासियों के विस्थापन का सवाल है, जो ऐसे हिंसक मोहभंग का सबब बनता है।

इस मोहभंग का मूल कारण यही है कि देश की सत्ता ने शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलनों की आवाजों को सुनना बन्द कर दिया है। शहरी मध्यवर्ग भले न देख पा रहा हो, बस्तर के आदिवासी साफ देख पा रहे हैं कि कैसे राज्य सत्ता ने नर्मदा घाटी के लाखों आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के जमीन के बदले जमीन का मुआवजा देने तक उन्हें विस्थापित न करने के फैसले तक को दरकिनार कर उन्हें डुबो दिया। आदिवासियों को इस व्यवस्था से न्याय की उम्मीद नहीं बची है और यही वह मोहभंग है, जिसका फायदा माओवादी उठा रहे हैं। आदिवासियों को उनकी जमीन पर रहने का हक दीजिए, उनके जंगलों पर उनका संविधान सम्मत अधिकार सुरक्षित करिए और फिर देखिए कि कोई माओवादी उन्हें कैसे बरगला पाता है। जंग फौजों से नहीं, यकीन से जीती जाती है और जिस दिन राज्य ने अपने ही नागरिकों का वह यकीन वापस जीत लिया, उस दिन माओवाद अपने आप ध्वस्त हो जायेगा।

(लेख स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

प्रतिष्ठा में:–

अवितरण की दशा में लौटाएँ–
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/5 महर्षि दयानन्द भवन,
(रामलीला मैदान/आसफ अली रोड), नई दिल्ली-110002

अजरामरवत् प्राज्ञः विद्याम् अर्थच चिन्तयेत्।
गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्।।
(चाणक्यनीतिशास्त्र 10)

मैंने कभी वृद्ध होना है, न मेरी मृत्यु होनी है, यह विचार करते हुए बुद्धिमान् पुरुष को विद्या का अध्ययन तथा धन का संचय करना चाहिए। परन्तु मृत्यु ने प्रतिफल मुझे बालों से पकड़ा हुआ है अर्थात् मृत्यु हर समय मेरे सिर पर मण्डरा रही है, यह सोचते हुए धर्म का कार्य करना चाहिए। अर्थात् शरीर से प्राण कब निकल जायें यह सोचते हुए व्यक्ति धर्ममय कर्म करता रहे।

पाठकों के पत्र तथा प्रतिक्रिया

श्रीयुत सम्पादक जी

वैदिक सार्वदेशिक का नवीन अंक प्राप्त हुआ। इस अंक के अंतिम पृष्ठ पर समर्पित आर्य समाजी नेता, शिक्षाविद् तथा राज्यसभा सांसद डॉ. रामप्रकाश जी को स्वामी अग्निवेश जी की बधाई का समाचार प्रकाशित हुआ है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनने पर स्वामी अग्निवेश जी द्वारा दी गई बधाई से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। मैं आपके पत्र के माध्यम से स्वामी जी का कोटिशः अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि उन्होंने विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत वैदिक विद्वानों को एकजुट करने का मन बनाया है तथा आर्य समाज में व्याप्त गुटबाजी को दूर रखकर आर्य समाज की प्रगति तथा सिद्धान्तों के प्रसार के निमित्त विश्वास व्यक्त किया है। मैं समझता हूँ कि लड़ने–झगड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत सीमित है लेकिन आर्यों की श्रेष्ठ पुरुषों की तथा समर्पित व्यक्ति आर्य समाज में बहुत बड़ी संख्या में है, यदि इन सब मनीषियों को एक मंच पर लाकर बृहद योजना बनाकर यदि कार्य किया जाये तो आर्य समाज पुनः समाज तथा देश सेवा में संलग्न होने की राह पर चल सकता है। स्वामी जी को पुनः बधाई तथा धन्यवाद।

— आर्य समाज का सेवक नन्द कुमार बिश्नोई, दिल्ली

श्री सम्पादक जी

वैदिक सार्वदेशिक का अंक प्राप्त हुआ धन्यवाद। नये कलेवर में वैदिक सार्वदेशिक मन मोहक बन पड़ा है। इसमें प्रकाशित समस्त सामग्री प्रेरक व पठनीय हैं वैदिक सार्वदेशिक जन जागृति के कार्य में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करने वाली पत्रिका बन गई है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकारें।

— राम प्रताप वैश्य, सोनीपत

श्री विट्ठलराव जी
सम्पादक वैदिक सार्वदेशिक
सादर नमस्ते!

पूर्व सम्पादक प्रो. कैलाशनाथ सिंह जी के निधन के उपरान्त जब से आपने वैदिक सार्वदेशिक के सम्पादन का कार्यभार संभाला है पत्रिका अत्यन्त ज्ञानवर्द्धक तथा पठनीय बन गई है। 30 मई से 5 जून का अंक मिला इसमें भारतीय नारी की अस्मिता तथा सबसे अधिक बंधुआ मजदूर भारत में की विचारधारा अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त श्री मुलखराज विरमानी लिखित गाय कैसे बचे का दिल को सन्न कर देने वाला विवरण पढ़ा। जो हृदय को झकझोरने वाला है। इसे पढ़कर यदि गो–माता के लिए हमारे हृदय में थोड़ी भी करूणा जाग जाये तो इस प्रकार का लेखन सफल हो जायेगा।

— रामकृष्ण भट्ट, नैनीताल

अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अवतारवाद एवं पाखण्ड के खिलाफ
महर्षि दयानंद की सिंह गर्जना
- सत्यार्थप्रकाश का
11 वां समुल्लास
मंगाये, पढ़े, पढ़वायें, बाटें, भेंट करें
मात्र 20 रुपये सहयोग राशि
50 या अधिक प्रतियाँ मंगाने पर 20 प्रतिशत छूट
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
"महर्षि दयानन्द भवन" 3/5 आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002
दूरभाष :- 011-23274771, 23260985

प्रो० विट्ठलराव आर्य, सभा मंत्री, प्रकाशक व मुद्रक द्वारा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/5 महर्षि दयानन्द भवन, (रामलीला मैदान/आसफ अली रोड), नई दिल्ली-110002
के लिए प्रकाशित तथा ज्योति प्रिंटिंग प्रेस, ई-94, सैक्टर-6, नोएडा-201301 से प्रकाशित एवं मुद्रित। (फोन : 011-23274771, 23260985 टेलीफैक्स : 23274216)
सम्पादक : प्रो० विट्ठलराव आर्य (सभा मन्त्री) मो.:0-9849560691, 0-9013251500 ई-मेल : Sarvadeshik@yahoo.co.in वैबसाइट : www.vedicaryasamaj.com

वैदिक सार्वदेशिक साप्ताहिक में छपे लेखों तथा विचारों से सम्पादक या सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की सैद्धान्तिक मतैक्यता होना अनिवार्य नहीं है।